सं. ४-४/२०१५-बीपी-2(एससी/एसटी/ओबीसी होस्टल)

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक २३ दिसम्बर, २०१५

सेवा में,

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक,
भारतीय खाद्य निगम,
16-20 बाराखम्बा लेन,
नई दिल्ली- 110001

विषय: अक्टूबर, 2015 से मार्च, 2016 तक अर्थात् वर्ष 2015-16 की द्वितीय छमाही हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग छात्रावास स्कीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को खाद्यान्नों का आवंटन।

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 27 अप्रैल, 2015 व 16 सितंबर, 15 के समसंखयक आवंटन आदेश और मध्य प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 7-9/2007/29-1 दिनांक 2 नवम्बर, 2014 के अनुक्रम में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिं अन्य पिछडा वर्ग छात्रावास स्कीम के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार को अक्टूबर, 2015 से मार्च, 2016 तक अर्थात् वर्ष 2015-16 की द्वितीय छमाही के लिए गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के मूल्यों पर 2335 टन गेंहू प्रति माह और 780 टन चावल प्रति माह आवंटन का अनुमोदन संप्रेषित करने का निदेश हुआ है।

2. भारतीय खाद्य निगम यह सुनिश्चित करेंगा कि चावल/गेहूं की उक्त मात्रा उनके नजदीकी डिपो से बीपीएल दर पर पूर्व-भुगतान के आधार पर उनके द्वारा किए जाने वाले जिलेवार उप आवंटन के अनुसार राज्य के प्रतिनिधि/नामित व्यक्ति को जारी की जाती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा इस विभाग को सूचना देते हुए इस संबंध में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को समुचित निर्देश जारी किए जाएं और उनके नजदीकी डिपो से खाद्यान्न की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

3. इस योजना के उचित कार्यान्वयन और निगरानी की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

4. अक्टूबर, 2015 से जनवरी, 2016 के लिए आवंटित खाद्यान्न की लागत जमा करने और उठाने के लिए वैधता अवधि इस पत्र के जारी होने की तारीख से 50 दिनों तक होगी और फ़रवरी, 2016 से मार्च, 2016 तक अर्थात् शेष महीनों के लिए लागत जमा करने और उसके आवंटित खाद्यान्न उठाने की वैधता अवधि क्रमशः प्रत्येक आवंटन माह की 15 और 20 तारीख होगी।

भवदीय,

असित

(असित हलदर)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23382504

प्रतिलिपि:

1. सचिव, खाद्य, नागारिक आपूर्ति और उपभोक्ता सरंक्षण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल ।
2. अवर सचिव (एफ़.सी. अकाउंट)/अवर सचिव(बीपी-3)/अनुभाग अधिकारी(बीपी-१)।